3. Shri Jageshwar Yadav 3rd July to 19th July, 1967 (Second Session).
4. Shri Dahyabhai Parmar 10th July to 30th July, 1967 (Second Session).
5. Shri Pashabhai Patel 6th June to 1st August, 1967 (Second Session).
6. Shri Charanjit Rai 10th July to 12th August, 1967 (Second Session).
7. Shri K. R. Ganesh 5th July to 20th July, 1967 (Second Session).
8. Shri Deven Sen 5th June to 24th July, 1967 (Second Session).

I take it that the House agrees with the recommendations of the Committee.

**Some hon. Members:** Yes.

**Mr. Speaker:** Leave is granted. The Members will be informed accordingly.

---

**12.53 hrs.**

## ESTIMATES COMMITTEE

### ELEVENTH REPORT

**Shri P. Venkatasubbaiah (Nandyal):** I beg to present the Eleventh Report of the Estimates Committee on the Ministry of Finance—Utilisation of External Assistance.

---

**12.53½ hrs.**

## STATEMENT UNDER RULE 115 AND REPLY HERETO

### INDIAN LAW INSTITUTE, NEW DELHI

**श्री जार्ज फर्नेन्डीज (बम्बई–दक्षिण)** : अध्यक्ष महोदय, 18 जुलाई, 1967 को मेरे अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5910 का, जिस में मैंने पूछा था कि (1) क्या इंडियन ला इन्स्टिट्यूट, जो कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्था है, आर्थिक कठिनाई में है, और (2) क्या इस इन्स्टिट्यूट के किसी भी कर्मचारी को इस आर्थिक परेशानी के कारण हटाया अथवा रिट्रेंच किया गया है, विधि मंत्रालय में उपमंत्री ने यह उत्तर दिया था कि (1) कोई भी आर्थिक कठिनाई की बात इंडियन ला इन्स्टिट्यूट ने सरकार को नहीं बतलाई है, और (2) किसी भी कर्मचारी को किसी तथाकथित आर्थिक कठिनाई के कारण काम से अलग नहीं किया गया है ।

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री द्वारा दिये हुए उत्तर सही नहीं मालूम होते हैं ।

मई 16, 1967 को इंडियन ला इन्स्टिट्यूट के डाइरेक्टर श्री जी० एस० शर्मा ने इन्स्टिट्यूट के एक कर्मचारी श्री आर० के० मारखान को निम्नलिखित पत्र भेजा था :

"In view of the financial stringency the Executive Committee of the Institute, at its meeting held on the 1st May, 1967, decided to terminate your services from the Indian Law Institute after giving you three months' salary in lieu of notice from the 17th of May, 1967. You will be paid all your dues as early as possible."

इससे यह साफ है कि इंडियन ला इन्स्टिट्यूट ने मंत्रालय को गलत जानकारी दी है । जैसा मंत्री जी ने बतलाया, अगर कोई आर्थिक कठिनाई नहीं है जो श्री मारखान को नौकरी से हटाने के लिये दिया हुआ कारण है, तो यह आवश्यक है कि श्री मारखान को नौकरी से हटाने की आज्ञा तत्काल वापस ली जावे ।

**Mr. Speaker:** He may lay it on the Table.

**The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan):** I lay it on the Table. [*Placed in Library.* See No LT-1441/67]